

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका संख्या-17/एल 1-32/2024-

पटना, दिनांक- / /2025

डा० अभिषेक कुमार झा, सह-प्राध्यापक, चर्म एवं रति रोग विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को दिनांक-09.06.2025 से 21.06.2025 तक की अवधि में विदेश (यूरोप) की यात्रा के लिए निम्न शर्तों के साथ स्वीकृति/अनुमति प्रदान की जाती है।

2. डा० झा विदेश प्रवास के समय अपने पेशे से संबंधित किसी प्रकार का कार्य धनोपार्जन हेतु नहीं करेंगे।
3. डा० झा इस यात्रा में होने वाले सम्पूर्ण व्यय का वहन निजी श्रोत से करेंगे।
4. डा० झा विदेश जाने से पूर्व विदेश प्रवास की अवधि में अपने कार्यों के निष्पादन की व्यवस्था कर ही विदेश के लिए प्रस्थान करेंगे।
5. डा० झा को उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् तुरंत वापस लौटकर पदस्थापित स्थान पर योगदान कर लेना होगा, अन्यथा सेवा शर्तों के अधीन दंड के भागी होंगे।
6. डा० झा विदेश यात्रा से लौटने के पश्चात् अपने पार-पत्र की छाया प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
7. इस यात्रा अवधि का विनियमन उनको देय अवकाश से स्वीकृत किया जायेगा।

ह०/-
(सुरेन्द्र राय)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-17/एल 1-32/2024- 550(17) /पटना, दिनांक-30/05/2025

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले०एवंह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्राचार्य/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना/ डा० अभिषेक कुमार झा, सह-प्राध्यापक, चर्म एवं रति रोग विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी।